न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2019RAAJu225RTA145 Santoksingh etc Vs State

1. संतोकसिंह पुत्र आदूदान माली
2. नरपतसिंह पुत्र आदूदान माली
3. नरेश पुत्र बाबूलाल मालीं
   निवासीगण सोढो की ढाणी,
   तहसील व जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर
2. खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग
   सर्किट हाउस रोड, जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दिनांक 13 अगस्त 2019 राजस्व प्रकरण संख्या 12/2014 राजस्थान सरकार बनाम बाबूलाल व अन्य.

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री सत्यनारायण राजपुरोहित, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक व दो

नि र्ण य

दिनांक : 13 दिस., 2019

अपीलाण्ट ने यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 12/2014 राजस्थान सरकार बनाम बाबूलाल इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 13 अगस्त 2019 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 11 अक्तूबर 2019 को पेश की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार जोधपुर ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर राजस्व ग्राम बडली जिला जोधपुर स्थित अपीलाण्ट्स-अप्रार्थी संख्या एक बाबूलाल, संतोकसिंह, नरपतसिंह पिसरान आदूदान माली के खिलाफ पेश कर जाहिर किया कि अप्रार्थी संख्या 3 खनिज विभाग द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु एक दल बनाया जाकर विशेष अभियान के तहत किये गये निरीक्षण के दौरान उक्त अप्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा संख्या 324 की 25 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि पर अवैध खनन कराये जाना पाये जाने पर मौका रिपोर्ट तैयार की गयी। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त अवैध खनन से उपजाऊ कृषि भूमि को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और आस-पडौस के काश्तकारों के जीवन को खतरा उत्पन्न किया जा रहा है। उसके इस कृत्य के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाने का प्रावधानों का उल्लेख करते हुए उक्त अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स के वादग्रस्त आराजियात बाबत खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाने का निवेदन किया।

अपीलाण्ट्स-अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 04 सितम्बर 2015 को अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रार्थनापत्र का जवाब मय शपथपत्र पेश कर विरोध किया। इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 को स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील पेश की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने के पूर्व प्रकरण की कार्यवाही राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम, 1955 की धारा 177 की उपधारा 4 के अनुरूप सम्पादित नहीं की गयी है। अपीलाण्ट्स-अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 04 सितम्बर 2015 को अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रार्थनापत्र का जबाब मय शपथपत्र पेश कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 की उपधारा 4 के प्रावधानों के अनुसार उक्त प्रार्थनापत्र का जबाब प्रस्तुत करने के बाद नियमानुसार प्रकरण एक दावे में तब्दील हो गया और इसके बाद समस्त कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय को एक वाद की भांति सम्पादित करने चाहिये थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं कर कानूनी एवं वाक्याती भूल की गयी है। विद्वान अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी कथन किया कि अपीलाण्ट्स-अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 04 सितम्बर 2015 को अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रार्थनापत्र का जबाब मय शपथपत्र पेश कर दिया था, मगर इसके बावजूद उक्त जबाब प्रार्थनापत्र का किसी भी आदेशिका में उल्लेख नहीं कर पेशी दिनांक 02 नवम्बर 2018 की आदेशिका में यह वर्णित किया जाना कि अप्रार्थी को जबाब के काफी अवसर दिये जा चुके है, अब अप्रार्थी के जबाब का अवसर बंद किया जाता है। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं पर संबंधित के हस्ताक्षर नहीं होने का भी उल्लेख किया। साथ ही यह भी कथन किया कि खनन का कोई मामला है ही नहीं, वस्तुतः मौके पर फसल खडी है, खनन विभाग के जिस विशेष अभियान के दौरान जॉच एवं मौके पर रिपोर्ट की बात प्रार्थनापत्र में बताई गयी, ऐसी कोई जांच रिपोर्ट भी अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय की रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं होना अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा जाहिर किया गया। यहॉ तक कि जो मौका रिपोर्ट खसरा संख्या 324 बाबत पटवारा हळका द्वारा तैयार की गयी, उसमें ग्राम बागां के खसरा संख्या 324 में वक्त जांच किसी प्रकार का खनन नहीं होना वर्णित किया गया है। जबकि अधीनस्थ

न्यायालय ने ग्राम बडली के खसरा संख्या 324 में अवैध खनन मानते हुए अप्रार्थी के खिलाफ अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विरोधाभासी है। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन रहने के दौरान अप्रार्थी बाबूलाल का देहान्त दिनांक 16 जुलाई 2016 को हो गया, मगर उसके कायममुकामान बाबत कोई कार्यवाही किये गये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 एक मृत पक्षकार के खिलाफ पारित कर दिया , जो उचित एवं न्यायसंगत नहीं हैं। अंत में अधिवक्ता अपीलाण्ट ने निवेदन किया कि अपील गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट्स द्वारा अपील खातेदारी की कृषि भूमि का बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करते हुए अवैध खनन किया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत असंवैधानिक कृत्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के तहत कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। जिससे पाया जाता है कि -

1. अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दिनांक 7 फरवरी 2014 को दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की

तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिकाओं के अवलोकन से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 07 फरवरी 2014 को संस्थित किया जाकर दिनांक 13 अगस्त 2019 को निस्तारित किया गया। इस सम्पूर्ण अवधि में लिखी गयी समस्त 61 आदेशिकाओं में से मात्र निम्नलिखित सात आदेशिकाओं के अतिरिक्त किसी भी आदेशिका पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी या अन्य किसी प्राधिकृत कार्मिक के हस्ताक्षर किये हुए नही है --

i. 7 फरवरी 2014,
ii. 14 फरवरी 2014,
iii. 26 फरवरी 2014,
iv. 11 जून 2015
v. 15 दिसम्बर 2017
vi. 27 जुलाई 2019 एवं
vii. 13 अगस्त 2019

इससे साफ जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण की कार्यवाही के प्रति घोर लापरवाही एवं प्रमाद बरता गया है। पत्रावली में अभिलेख की क्या स्थिति है, आदेशिकाओं में क्या लिखा जा रहा है, पक्षकारान की उपस्थिति/तामील की क्या स्थिति है, आदेशिकाओं में क्या वर्णित किया जा रहा है। कही कोई तारतम्य ही नहीं है। यहॉ तक कि अपीलाण्ट्स-अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 04 सितम्बर 2015 को अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रार्थनापत्र का जबाब मय शपथपत्र पेश कर दिया था, मगर इसके बावजूद उक्त जबाब प्रार्थनापत्र का किसी भी आदेशिका में उल्लेख नहीं कर पेशी दिनांक 02 नवम्बर 2018 की आदेशिका में यह वर्णित किया जाना कि अप्रार्थी को जबाब के काफी अवसर दिये जा चुके है, अब अप्रार्थी के जबाब का अवसर बंद किया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2. समूचे प्रकरण में ग्राम बडली के खसरा संख्या 324 रकबा 25 बीघा 13 बिस्वा में से अपीलाण्ट द्वारा अपने हिस्से पर अवैध खनन किया जाना वर्णित करते हुए अपीलाधीन आदेश के जरिये उक्त भू-भाग बाबत अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स की खातेदारी निरस्त की जाकर यह भू-भाग राजकीय सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार को दिये गये है। **मगर अपीलाण्ट के हिस्से का यह भू-भाग विशेष है कौनसा? कहीं पर भी सुनिश्चित नहीं किया गया** है। मौका रिपोर्ट तक में ग्राम बागां के खसरा संख्या 324 में अवैध खनन वाले भू-भाग विशेष की अवस्थिति/हदूदो आदि का विवरण नहीं दिया गया है।

3. अदालत हाजा के समक्ष जो मृत्यु प्रमाण पत्र अपीलाण्ट्स की ओर से पेश किया गया है, उसके अवलोकन से पाया जाता है कि बाबुलाल पुत्र आईदानराम (माता का नाम पतासी) निवासी सोढो की ढाणी काली बेरी, जोधपुर का **दिनांक 07 जुलाई 2016 को देहान्त हो गया।**

4. अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के बिन्दु संख्या तीन में वर्णित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या दो खनि-विभाग द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु एक दल बनाया जाकर विशेष अभियान के तहत तहसील क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। प्रार्थनापत्र के बिन्दु 4 में उक्त दल द्वारा वक्त निरीक्षण वादग्रस्त आराजी में अवैध खनन किया/करवाया जाना पाया जाने पर दल द्वारा रिपोर्ट तैयार किया जाना अंकित किया गया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसी कोई रिपोर्ट या उसकी प्रति

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपलब्ध नहीं है और न ही ऐसी किसी कार्यवाही की दिनांक, ऐसे किसी दल के मुखिया आदि के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध है। यहाँ तक कि जो मौका रिपोर्ट खसरा संख्या 324 बाबत पटवारा हळका द्वारा तैयार की गयी, उसमें भी किसी प्रकार का खनन नहीं होना वर्णित किया गया है।

5. ऐसी स्थिति में, जबकि किसी प्रकार का कोई खनन कार्य खसरा संख्या 324 ग्राम बडली में होने संबंधित रिपोर्ट ही नहीं है, तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश सर्वथा आधारहीन होने के कारण कायम रखे जाने योग्य ही नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अदालत हाजा की राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 आधारहीन पाया जाता है जो विधिसम्मतः नहीं होने से बहाल रखे जाने योग्य नहीं पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन आदेश दिनांक 13 अगस्त 2019 अपास्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

13/12/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर